Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 24-08-2006

Participants : Mishra Dr. Rajesh Kumar

an>

Title : Need to ban the use of paper and plastic material for making National flag.

डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : महोदय, प्रत्येक राट्र का राट्रध्वज उस देश की स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक होता है और राट्र ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारत देश में राट्रीय पर्वो को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इन पर्वो पर करोडों की संख्या में कागज एवं प्लास्टिक के तिरंगे का उपयोग होता है लेकिन अत्यंत दुख का विाय है कि राट्रीय पर्वो के दूसरे ही दिन उन्हीं कागज एवं प्लास्टिक के तिरंगों को सड़कों पर, नालियों में एवं कूड़ाखानों में फेंक दिया जाता है जिससे राट्र ध वज का अपमान होता है। यह अत्यंत ही सोचनीय विाय है क्योंकि जिस तिरंगे के मान सम्मान की रक्षा एवं उसे जमीं पर गिरने से बचाने के लिए वीर क्रांतिकारयों ने अपनी कुर्बानियां दी आज उनकी दी कुर्बानियों से मिली आजादी के नशे में मदमस्त होकर इस देश के नागरिक कागज एवं प्लास्टिक के तिरंगे को अपने पैरों तले रौंदने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। सरकारी कानून दि प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नेशनल आनर एक्ट के अनुसार इसके लिए सजा का प्रावधान है। मेरा सरकार से आग्रह है कि कागज एवं प्लास्टिक से बने तिरंगों पर रोग लगायी जाये तथा ऐसे पर्वो पर सिर्फ खादी का तिरंगा फहराने का प्रावधान किया जाये।

---

* Treated as laid on the Table.